संख्या- 8/1743 ई-1/तेरह-2014-127(22)/2000

प्रेषक,

मधु माथुर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः दिसम्बर, 2014

विषयः. वेतन समिति (2008) की लेखा कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में आबकारी विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग का पुनर्गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 की लेखा कर्मचारियों के विषय में दी गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10.10.2011 में विहित व्यवस्थाए लिये गये निर्णयों का समावेश करते हुए राजकीय विभागों के लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014" निर्गत की गई है। अतः उक्त सेवा नियमावली की व्यवस्था के अनुसार आबकारी विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग का 10.10.2011 से निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड.1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) यथावत् रहेगा। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था की जायेगी।

(2) लेखाकार के पदों पर आने के लिये प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त किया जाता है। अन्य व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(3) आबकारी विभाग में सहायक लेखाकार (09) पद तथा लेखाकार (05) पद के कुल 14 पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए 04 सहायक लेखकार तथा 10 लेखाकार होंगे।

http://sirsanadesh.up.nic.in

(4) अधीनस्थ लेखा संवर्ग का ढ़ांचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया) निम्नानुसार निर्धारित किया जाय:-

क्र0 सं0	पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या	अर्हता/भर्ती की प्रिक्रया
1	2	3
1	सहायक लेखाकार/वेतन बैण्ड-1, रूपया 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रूपया 2800/- 04 पद	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती- स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेबल का डिप्लोमा के अर्हता धारियों से।
2	लेखाकार/वेतन बैण्ड -2, रूपया 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रूपया 4200/- 10 पद	03 वर्ष की सेवा वाले लेखाकार के पद धारकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

(5) आबकारी विभाग में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित की जायेगी और आबकारी विभाग की अवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों का आवण्टन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने पर उच्च ग्रेड वेतन में पदनामित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 (यथा संशोधित), शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009'59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-1-868/दस-2014, दिनांक 26;11;2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 8/1743 (1) ई-1/तेरह-2014-127(22)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in